

प्रेस नोट दिनांक- 21.12.2024

### थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी  
थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के प्रकरण में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार  
थाना सांगीपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के सिंहनी पेट्रोल पम्प के पास गिरफ्तार किया गया।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना सांगीपुर पर दिनांक 15.12.2023 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 354/2023 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी सांगीपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह कां0 मुकेश कुमार द्वारा दिनांक 21.12.2024 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 354/2023 धारा 379, 411 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त सचिन कुमार वर्मा पुत्र देवराज वर्मा निवासी ग्राम नवाबाद थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र सांगीपुर के सिंहनी पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सचिन कुमार वर्मा पुत्र देवराज वर्मा निवासी ग्राम नवाबाद थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

### पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह कां0 मुकेश कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

### प्रेस-नोट दिनांक -21.12.2024,

### थाना रानीगंज, जनपद- प्रतापगढ़

-थाना रानीगंज पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

-पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

-थाना रानीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत लपकन पुल के पास सराय जोधराय जाने वाली सड़क से किया गया गिरफ्तार

-अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 03 अदद बड़े परात, 01 अदद छोटे परात, 03 अदद थाल, 01 अदद हंडा, 01 अदद थाली (सभी सामान पीतल धातु निर्मित) 01 अदद सीलिंग फैन किया गया बरामद-

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.11.2024 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शेखपुर में आरोपीगणों द्वारा अलग-अलग घरों में घुस कर सामान चोरी करने के प्रकरण में वादीगणों की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 415 / 24 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस बनाम 04 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

**पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार** द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 अश्वनी कुमार पटेल, उ0नि0 श्री फिरोज खां, उ0नि0 श्री राजनाथ यादव मय हमराह का0 राजू गौड़ व का0 मुकेश पटेल, चालक हे0का0 कमलेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत लपकन पुल के पास सराय जोधराय जाने वाली सड़क से दिनांक 21.12.2024 को मु0अ0सं0 415 / 24 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों 1- आशुतोष मिश्रा पुत्र श्यामशंकर मिश्रा निवासी ग्राम शेखपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 2- सूरज सरोज पुत्र प्रकाशचन्द्र सरोज निवासी ग्राम सराय जोधराय थाना मउआईमा जनपद प्रयागराज को चोरी के 03 अदद बड़े परात, 01 अदद छोटे परात, 03 अदद थाल, 01 अदद हंडा, 01 अदद थाली (सभी सामान पीतल धातु निर्मित) 01 अदद सीलिंग फैन के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

#### **पूछताछ का विवरण-**

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में दोनो व्यक्तियों ने एक साथ बताया कि साहब हम दोनो व हमारे साथियों द्वारा एक साथ मिलकर ग्राम शेखपुर में कई घरों में चोरी की थी। हम दोनों व हमारे साथी मिलकर आस-पास के घरों से छोटी-मोटी चोरी करते हैं और अपने खाने-पीने और शानो शौकत में खत्म कर देते हैं। जो सामान हम लोगों से मिला है यह सामान हम लोगों द्वारा ग्राम शेखपुर से चोरी किया था।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

01. आशुतोष मिश्रा पुत्र श्यामशंकर मिश्रा निवासी ग्राम शेखपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़,
02. सूरज सरोज पुत्र प्रकाशचन्द्र सरोज निवासी ग्राम सराय जोधराय थाना मउआईमा जनपद प्रयागराज।

**बरामदगी-** चोरी के 03 अदद बड़े परात, 01 अदद छोटे परात, 03 अदद थाल, 01 अदद हंडा, 01 अदद थाली (सभी सामान पीतल धातु निर्मित), 01 अदद सीलिंग फैन बरामद किया गया।

#### **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

उ0नि0 अश्वनी कुमार पटेल, उ0नि0 श्री फिरोज खां, उ0नि0 श्री राजनाथ यादव मय हमराह का0 राजू गौड़ व का0 मुकेश पटेल, चालक हे0का0 कमलेश यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

## **प्रेस नोट दिनांक 21.12.2024**

### **थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी  
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म करने के संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार  
थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के बस स्टैंड के पास गिरफ्तार किया गया।

### **घटना का संक्षिप्त विवरण-**

आरोपीगणों द्वारा वादिनी की पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर दिनांक 16.10.2024 को धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम 03 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण बैश के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ०नि० श्री पुष्पराज सिंह मय हमराह कां० सूरजनाथ मौर्य द्वारा दिनांक 21.12.2024 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त सचिन यादव पुत्र राजदेव यादव उर्फ भल्लू यादव निवासी ग्राम बाहीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

सचिन यादव पुत्र राजदेव यादव उर्फ भल्लू यादव निवासी ग्राम बाहीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

### **पुलिस टीम का विवरण-**

उ०नि० श्री पुष्पराज सिंह मय हमराह कां० सूरजनाथ मौर्य थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।